पूर्व मध्य रेल

संरक्षा बुलेटिन नं0–04/25

कार्यालय
महाप्रबंधक/संरक्षा
हाजीपुर

पत्र सं0 ईसीआर/संरक्षा बुलेटिन/04/25 दिनांकः 01.05.2025

विषयः दिनांक 17.03.2025 को पं0 दीन दयाल उपाध्याय मंडल के डी.डी.यू. स्टेशन यार्ड में डैमेज वैगनों का डाउन मार्शलिंग यार्ड के लाइन सं0–13 में शंटिंग के दौरान अंतिम वैगन के दिल्ली–इंड वाले ट्रॉली का अवपथन के संबंध में ।

1. संक्षिप्त विवरणः

दिनांक 17.03.2025 को पं0 दीन दयाल उपाध्याय मंडल के डी.डी.यू. स्टेशन यार्ड पर लगभग 19.00 बजे 58 वैगनों का डीजल पायलट सं. 36334 (हावड़ा–इंड) से डाउन मार्शलिंग यार्ड लाइन सं0 13 से डाउन डिपार्चर यार्ड लाइन सं0–8 में रखने के लिए (दिल्ली–इंड) में पुशिंग किया जा रहा था । यह नॉन–सिगनलिंग परिचालन था एवं इस शंटिंग के लिए एक पायलट पोर्टर इंजन में था और दूसरा वैगन कपलिंग के लिए था । शंटिंग के दौरान दिल्ली छोर में अंतिम वैगन सं0 SER–22072310580 का अंतिम ट्रॉली के चारों चक्के अवपथित हो गया ।

2. प्रकियागत विफलताः

दिनांक 17.03.2025 को हुई उपरोक्त घटना के संबंध में हुई जॉच से यह पता चला कि मार्शलिंग लाइन सं0–12 पर पहले से 25 वैगन रखा हुआ था तथा डाउन मार्शलिंग लाइन सं0–12 तथा 13 के बीच फाउलिंग मार्क साफ नहीं था । इस कारण उपरोक्त वैगन का साइड कॉलिजन के कारण अंतिम ट्रॉली अवपथित हो गया ।

3. जॉच के दौरान स्थापित तथ्यः

उक्त दुर्घटना की जॉच में यह पाया गया कि

(i) यार्ड नॉन–इंटर लॉक्ड था, केवल प्वांइट जोन टैक–सर्किटेड है ।
(ii) डाउन कंट्रोल टॉवर खुला ट्रैक सर्किट है जिसकी लंबाई बहुत कम है तथा प्वांइट का काफी उपयोग होता है ।
(iii) ड्यूटी पर उपलब्ध स्टेशन मास्टर द्वारा फाउलिंग मार्क साफ सुनिशिचित किए बिना शंटिंग की अनुमति प्रदान की गयी ।
(iv) प्वांइट जोन पर लाइट काफी कम है ।

4. नियमों का अनुपालन एवं बरती जानेवाली सावधानियॉं :–

भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृति न हो इसके लिए सामान्य एवं सहायक नियम पुस्तक के निम्नलिखित नियमों का सर्वसंबंधित यथा स्टेशन मास्टर/यार्ड मास्टर, शंटमैन, लोको पायलट (शंटर) तथा शंटिंग कार्य में शामिल अन्य कर्मचारियों द्वारा कड़ाई के साथ अनुपालन के लिए पुनः उद्घृत किया जा रहा हैः–

(i) शंटिंग कार्य में शामिल सभी वर्ग के कर्मचारियों द्वारा सामान्य नियम 5.13(1) के अनुसार शंटिंग कार्य किया जाएगा । इस नियम के अनुसार शंटिंग कार्य का नियंत्रण हैंण्ड सिगनल या मौखिक निर्देशों के द्वारा किया जाएगा ।

(ii) सहायक नियम 5.14 के उप पारा 12 के अन्तर्गत वर्णित है कि – जब शंटिंग संचालन स्थावर सिगनलों द्वारा नियंत्रित नहीं किये जाते है तो कांटो की सही सेटिंग एवं तालाबंदी तथा शंटिंग करने की अनुमति की सूचना केबिन/ग्राउंडफ्रेम गुमटी द्वारा शंटिंग का पर्यवेक्षण कर रहे गार्ड या शंटिंग जमादार को हरा सिगनल दिखाकर देगा ।

(iii) सामान्य नियम 5.13 (2) के अनुसार लोको पायलट सिगनलों पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहकर सदैव चौकस और सतर्क रहेगें ।

(iv) इसके अतिरिक्त सहायक नियम 8.15 के उपनियम 2(ग) में वर्णित प्रावधान 'कोचिंग या गुड्स यार्ड में जहॉ नियमित रूप से शंटिंग शंटर के द्वारा किया जाता है एवं शंटिंग कार्य का पर्यवेक्षण यार्ड शंटिंग स्टाफ द्वारा की जाती है, ऐसे स्थानों पर स्टेशन मास्टर/यार्ड मास्टर के द्वारा लिखित या मौखिक या स्टेशन संचालन ओदश में लिखित निर्देशों के अनुसार कार्य किया जाएगा' का अक्षरशः पालन किया जाना चाहिए ।

उक्त का सर्व सम्बन्धित द्वारा कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए । मंडलों के सम्बन्धित अधिकारीगण तथा पर्यवेक्षक नियमित तथा औचक निरीक्षण के समय इसका अनुपालन अवश्य देखें ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृति न हो ।

01/05/25

(प्रभास राघव)
उप मुख्य संरक्षा अधिकारी/यातायात

प्रतिलिपिः–

1. महाप्रबंधक के सचिव– महाप्रबंधक महोदय के सादर सूचनार्थ।
2. अपर महाप्रबंधक, प्र0 मु0 परि0 प्र0, प्र0 मु0 इंजी0, प्र0 मु0 वि0 इंजी0, प्र0 मु0 सि0 एवं दू0 इंजी0, प्र0 मु0 यां0 इंजी0 – को सादर सूचनार्थ।
3. मु0 यां0 यो0 प्र0, मु0 या0 या0 प्र0, मुख्य ट्रैक इंजी0, मु0 सि0 इंजी0, मु0वि0वि0इंजी0, मु0 वि0 लो0 इंजी0।
4. मंडल रेल प्रबंधक/धनबाद, दीन दयाल उपाध्याय नगर, दानापुर, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
5. वमसंअ0 वमपरिप्र0 वमंविई0 (टीआरडी), वमंविई0 (परि0), वमंसिदूई0, वमअभि0 (सम0) धनबाद, दीन दयाल उपाध्याय नगर, दानापुर, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
6. सभी सर्वसंबंधित पर्यवेक्षक एवं रेल कर्मचारी।